

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4(318) आयो/आकाशि/छात्रनिधि/2019पार्ट/२२५५

दिनांक २९ मई 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय:- छात्रनिधि कोष में उपलब्ध राशि से व्यय करने के प्रस्ताव प्रेषित करने बाबत ।
संदर्भ :- आयुक्तालय का परिपत्र संख्या 1408 दिनांक 21.10.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र (संलग्न) के क्रम में दिये गये निर्देशों की पालना में छात्रनिधि कोष में उपलब्ध राशि से व्यय करने के आयुक्तालय व राज्य सरकार स्तर के प्रस्ताव आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार


भवदीय,


संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 4(318) आयो/आकाशि/छात्रनिधि/2019पार्ट/२२५५
प्रतिलिपि :-

दिनांक २९ मई 2020

1. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (आयोजना)

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 4(318) आयो/आकाशि/छात्रनिधि/2019/1408

दिनांक 21 अक्टूबर 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- छात्रनिधि कोष में उपलब्ध राशि से नियमानुसार महाविद्यालय के विकास हेतु कार्य करने के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय का परिपत्र संख्या 656 दिनांक 12.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य छात्रनिधि (राजकीय महाविद्यालय) नियम 1970 व व्यय प्रावधान में संशोधन कर नवीन राजस्थान राज्य छात्रनिधि (राजकीय महाविद्यालय) नियम 2019 को आयुक्तालय के परिपत्र संख्या 1267-70 दिनांक 17.09.2019 द्वारा जारी कर दिया गया है। उक्त नवीन नियमों के अनुसार छात्रनिधि कोष से राशि व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

छात्रनिधि कोष से राशि व्यय करने के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रानुसार आयुक्तालय को माह मई से जून, 2020 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके। उपर्युक्त अवधि से पूर्व तथा पश्चात भिजवाये गये प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

संलग्नक :- उपर्युक्तानुसार

(बाबूलाल गायल)

अति. आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 4(318) आयो/आकाशि/छात्रनिधि/2019/1409 दिनांक 21 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

दीपिका गौरी

संयुक्त निदेशक (आयोजना)

छात्रनिधि से राशि व्यय करने की अनुमति का प्रपत्र

1. महाविद्यालय का नाम _____
2. स्थापना वर्ष _____
3. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता (2 एफ व 12 बी) का वर्ष _____
4. क्या महाविद्यालय रूसा योजनाओ से लाभान्वित होने की श्रेणी में सम्मिलित है _____
हों / नहीं
- यदि हों तो स्वीकृत राशि का ब्यौरा _____
5. वर्तमान में छात्रनिधि कोष में जमा राशि(लाखों में) _____
6. वर्तमान में महाविद्यालय विकास समिति कोष में जमा राशि (लाखों में) _____
7. प्रस्तावित कार्य का विवरण मय तकमीना _____
8. प्रस्तावित कार्य के लिये स्वीकृत की जाने वाली राशि(लाखों में) _____
9. महाविद्यालय विकास हेतु गठित समिति की टिप्पणी प्रस्तावित कार्य के लिये संलग्न करें।
10. प्रस्तावित कार्य की उपयोगिता पर टिप्पणी(संलग्न करें)
11. स्वीकृत की जाने वाली राशि के पश्चात छात्रनिधि कोष में शेष राशि (लाखों में) _____
12. दिनांक 03.09.2004 को छात्रनिधि कोष में उपलब्ध राशि _____

प्राचार्य के हस्ताक्षर मय सील

दिनांक :-

नाम _____
मोबाईल नंबर _____